बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

वित्त विभाग में अधिष्ठापित कम्प्यूटर/प्रिंटर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु निविदा

वित्त विभाग, बिहार, पटना में अधिष्ठापित कम्प्यूटर/प्रिंटर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रकाशन की तिथि से **दिनांक–07.07.2026 के अपराह्न 05:30 बजे तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों–हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा । प्राप्त निविदाओं को **दिनांक–08.07.2026 के अपराह्न 03:30 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं ।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा । निविदा की शर्तें वित्त विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/finance से Download किया जा सकता है ।

15/06/2026

(अरूण कुमार)
संयुक्त आयुक्त,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

क. तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन के रूप में 25,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत) ''संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग'' के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा । बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगी । EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी ।
2. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म/संस्थान को GST में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return (माह अप्रैल 2026 तक) की कॉपी संलग्न करना होगा ।
3. PANकार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज/Debarred नहीं होने तथा कार्य से असम्बद्ध अथवा नही हटाए जाने का तथा किसी अपराधिक मामले में नाम दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र देना होगा।
5. कम्प्यूटर/प्रिंटर के रखरखाव से संबंधित कम से कम तीन वर्ष का केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एक कार्यालय अथवा एक से अधिक कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए।
6. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा ।
7. निविदादाता को अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक 6 माह से पुराना न हो) पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा ।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाये गए सभी शर्त्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्व–घोषणापत्र हस्ताक्षरित संलग्न करना होगा। सभी संलग्न कागजात स्वहस्ताक्षरित होगा।
9. निविदा को लिफाफा में बंद करने से संबंधित सूचनाः–

   (क) निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर, लिफाफा के ऊपर ''कम्प्यूटर/प्रिंटर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु तकनीकी निविदा'' एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे तथा उसे सील बंद करेंगे ।

   (ख) निविदा के साथ संलग्न वित्तीय निविदा का प्रपत्र प्रारूप 'क' में अपना Yearly AMC Rate वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर, लिफाफा के उपर ''कम्प्यूटर/प्रिंटर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु वित्तीय निविदा'' एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे तथा सील बंद करेंगे ।

   (ग) तत्पश्चात तकनीकी निविदा के लिफाफा एवं वित्तीय निविदा के लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में डालकर उसके उपर ''कम्प्यूटर/प्रिंटर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु निविदा'' अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने तरफ में पता ''संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना '' एवं बायें साईड में फर्म का नाम एवं पता अंकित करेंगे ।
10. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में प्राप्त हो जाए । अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
11. निविदादाता वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों–हाथ भी निविदा जमा कर सकते है ।
12. निविदादाता निविदा की शर्त्तों के संबंध में किसी बिन्दु पर जानकारी हेतु संयुक्त आयुक्त से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते है ।

ख. वित्तीय निविदा की शर्त्तें

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा ।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्म को प्रारूप (क) में अपना AMC का दर प्रति इकाई सभी कर सहित देना होगा । प्रारूप (क) का प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रत्येक सामग्री यथा कम्प्यूटर/प्रिंटर का प्रति यूनिट 12 माह के लिए AMC का दर अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । यदि शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में अन्तर होता है, तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगा ।
3. यदि चयनित एजेन्सी L1 एकरारनामें के शर्त्तों को पूरा करने में असफल अथवा इन्कार करते हैं, तो विभाग L1 दर पर चयनित एजेन्सी के स्थान पर AMC हेतु L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा L1 चयनित एजेन्सी का EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।
4. प्रपत्र 'क' में निविदादाता का नाम, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं0 के साथ–साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।
5. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
6. यदि AMC हेतु कोई दर अंकित नहीं किया गया है, तो बोली को गैर–उत्तरदायी बोली माना जायेगा एवं EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

ग. वार्षिक रख–रखाव (AMC) संबंधी अन्य शर्तें:–

1. एकरारनामा प्रारम्भ में 24 माह की अवधि के लिए होगा, जो समान नियमों एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है ।
2. निविदादाता का प्रधान/शाखा का कार्यालय पटना में होना चाहिए ।
3. निविदादाता द्वारा कार्यालय अवधि प्रातः 09:30 बजे से 06:00 बजे तक के लिये एक Resident Engineer की प्रतिनियुक्ति विभाग में किया जायेगा, ताकि किसी खराबी, Trouble Shooting, Networking आदि को कार्यालय कार्य अवधि में तथा आकास्मिक स्थिति में ठीक कराया जा सके । ऐसे विशेषज्ञ का अनुभव Hardware/Server/Desktops, Printers एवं अन्य IT Equipments के Maintenance में कम से कम तीन वर्षों का होना चाहिये । AMC Provider वित्त विभाग में पदस्थापित Resident Engineer को श्रम संसाधन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करेंगे ।
4. यदि सेवा की गुणवत्ता अंसतोषजनक पायी जाती है या किसी अन्य कारणों से तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर इस कार्यालय द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है ।
5. निविदा/बिड स्वीकार करने पर सेवाप्रदाता को अनुबंध की पूरी अवधि के मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से Fixed Deposit Receipt (FDR) अथवा बैंक गारंटी के रूप में performance security जमा करना होगा । performance security अनुबंध के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिनों की अधिक अवधि के लिए वैध रहना चाहिए ।
6. Breakdown या Exigency की स्थिति में सूचित किये जाने पर अविलम्ब वार्षिक रख–रखाव कर्त्ता से अवकाश के दिनों में यथा शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दौरान तथा कार्यालय अवधि के पश्चात् भी Maintenance की आवश्यकता के अनुरूप कार्य लिया जा सकता है, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

7. वित्त विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्त्तों को बदलने तथा इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है ।
8. सभी कार्य वित्त विभाग के अधीन कार्यालयों में की जायेगी । किसी भी परिस्थिति में वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) या उसके Technician/Engineer कम्प्यूटर/प्रिंटर Spare Parts को वित्त विभाग से बाहर नहीं ले जायेंगे । यदि मरम्मति हेतु बाहर ले जाना आवश्यक हो, तब वित्त विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही अनुमति पत्र के साथ कोई भी सामान वित्त विभाग के कार्यालय से बाहर ले जा सकेंगे ।
9. वार्षिक रख–रखाव (AMC) अनुबंध की अवधि के दौरान एक बार निर्धारित दर को पुनः दर की वृद्धि किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा । सामानों की ढुलाई आदि अन्य कार्यो पर हुए व्यय के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फारमेट में ही Maintain करना पड़ेगा । इस संधारित लॉग बुक में रिपेरिंग/सर्विसिंग से संबंधित सभी कार्यों का ब्यौरा अंकित किया जायेगा एवं उस पर वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।
11. सफल निविदादाता निविदा प्राप्त करने के 01 महीने के भीतर अलग से 1,000/– (एक हजार रूपये) Judicial Stamp Paper पर एक एकरारनामा करना होगा ।
12. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा ।

घ. <u>दण्ड (Penalty)–</u>

1. शिकायत दर्ज करने के उपरांत चार घंटे के अंदर कार्य करना सुनिश्चित किया जाना होगा।
2. शिकायत दर्ज किये जाने के 4 घंटे के अंदर यदि फर्म द्वारा कार्य नहीं किया जायेगा तो संबंधित उपकरण के AMC की निर्धारित दर के 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।
3. दर्ज शिकायत के 48 घण्टे के पश्चात् प्रति दिन संबंधित उपकरण के AMC की निर्धारित दर के 01 प्रतिशत की दर से दण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।

ङ. <u>भुगतान (Payment)–</u>

1. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।
2. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) प्रत्येक 03 माह पर आनुपातिक दर (Pro-Rate Basis) पर विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
3. समय–समय पर लागू दर पर TDS की कटौती के पश्चात् राशि का भुगतान किया जाएगा ।
4. अनुबंध की अवधि में कम्प्यूटर/प्रिन्टर की संख्या बढ़ने या कम होने पर तद्नुसार भुगतान किया जाएगा ।
5. अनुबंध की अवधि में यदि कोई दंड अधिरोपित होती है तो उसकी कटौती चालू तिमाही में किया जाएगा ।
6. उपकरणों के टैक्स डयूटिज एवं मूल्य बढ़ने अथवा कम होने पर AMC का दर अनुबंध अवधि में प्रभावित नहीं होगा । ऐसे दावे के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा यह कार्य Sub Contract से नहीं किया जायेगा और न ही अपने फर्म से अलग किसी व्यक्ति को कार्य करने हेतु अनुमति दी जायेगी ।

च. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) के दायित्व एवं कर्त्तव्य :–

1. वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधीन सभी कार्यालयों में अधिष्ठापित कम्प्यूटर (लगभग 400 प्रिंटर), (लगभग 250 अद्द) का रख–रखाव का कार्य करना होगा ।
2. निविदा की शर्तो के अनुरूप वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) गुणवत्ता पूर्ण सेवा दिये जाने पर सहमत होंगे ।
3. समुचित क्लिनिंग मेटेरियल का उपयोग करते हुए सभी हार्डवेयर की साफ–सफाई करेंगे ।
4. असंतोषजनक कार्य पाये जाने अथवा एकरारनामें के नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने पर तत्काल एकरारनामें को रद्द किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को होगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
5. संविदा के अनुरूप वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचित किये जाने के पश्चात कम्प्यूटर/प्रिंटर का कार्य ससमय संपन्न हो जाय । इसका विवरण निम्नवत् है :–
   - i छोटी–मोटी खराबी (Minor Faults) – तुरंत
   - ii बड़ी खराबी (Major Faults, सामान बदली की स्थिति में) – 03 से 04 घंटे के अंदर
   - iii बड़ी खराबी जहाँ लेजर प्रिंटर को छोड़ कर अन्य उपकरणों के अधिकृत निर्माता के सर्विस सेंटर पर सर्विसिंग – 24 घंटा ।
6. उक्त कार्य के दौरान निविदादाता का यह दायित्व होगा कि पूर्व से कम्प्यूटर आदि में उपलब्ध डाटा एवं प्रोग्रामिंग का बैक अप रखेंगे तथा सर्विसिंग के उपरांत इसे Reloading करेंगे ।
7. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) संविदा में लिखित शर्त्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे ।
8. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider)Spare Parts का समुचित Stock अपने पास रखेंगे ताकि मरम्मति का कार्य बिना किसी देरी के संपन्न किया जा सके ।
9. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) यदि Spare Parts को बदलते हैं या नया Spare Parts लगाते हैं तब उस Spare Parts का बिल तुरन्त भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं Spare Parts का मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये । साथ ही उक्त Spare parts को लगाते या बदलते समय निर्माणकर्त्ता कंपनी के दिये गए गाइडलाईन के अनुसार कार्य करेंगे ।
10. प्रत्येक महीने में 01 से 07 तारीख के बीच वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) द्वारा वित्त विभाग में अधिष्ठापित सभी कम्प्यूटर/प्रिंटर का निरीक्षण किया जायेगा एवं किसी भी तरह की खराबी पाये जाने पर उसकी तुरन्त मरम्मति करना सुनिश्चित करेंगे । इसके साथ–साथ इसकी प्रविष्टि प्रदत्त पंजी में करते हुये संबंधित कम्प्यूटर/प्रिंटर पर किये गये कार्य से संबंधित विवरण तिथि अंकित कर स्टीकर चिपकायेंगे ।
11. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) या उनके Technicianद्वारा वित्त विभाग में अधिष्ठापित किसी भी सामान को खराब करने या नुकसान पहुँचाने की स्थिति में इसके लिये वार्षिक रख–रखावकर्त्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे एवं नुकसान की पूर्ण भरपाई उनके द्वारा किया जायेगा ।
12. किसी भी समय निविदा की शर्त्तें बदलने, नये शर्त्तों को जोड़ने, पुराने शर्त्तों को हटाने या पूरे निविदा को रद्द करने का सर्वाधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित है एवं इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है ।

13. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) के साथ किये गये एकरारनामा को किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर रद्द किया जा सकता है एवं रद्द किये जाने की तिथि तक का ही विपत्र का भुगतान Pro-Rate Basis पर किया जायेगा ।
14. सूचित किये जाने पर उपर्युक्त कंडिका–'ग'(6) के अनुसार सर्विसिंग / रिपेयरिंग कार्य नहीं संपन्न किये जाने पर सर्विसिंग / रिपेयरिंग का कार्य किसी अन्य Technician से करवाया जायेगा एवं इस पर आने वाले खर्च की कटौती वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) को भुगतान किये जाने वाले वार्षिक रख–रखाव की राशि में से की जायेगी एव राशि की कटौती करके विपत्र का भुगतान किया जायेगा ।
15. वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider) को उनके द्वारा Quote किये गये प्रति कम्प्यूटर / प्रिंटर के दर से वास्तविक रूप से कार्यरत कम्प्यूटर / प्रिंटर की संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

16. **वार्षिक रख–रखावकर्त्ता (AMC Provider)को**

(क) सभी तरह के हार्डवेयर संबंधित कार्य ।
(ख) सभी तरह के सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य ।
(ग) Antivirus Update करना ।
(घ) नया कम्प्यूटर / प्रिंटर को Install करना ।
(ड.) नये सॉफ्टवेयर को Install करना ।
(च) अन्य सभी तरह के कम्प्यूटर / प्रिंटर से संबंधित कार्य ।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र
प्रारूप (क)

निविदादाता का नाम ....

निविदादाता का पता ....

निविदादाता का मोबाईल नं० ....

सामग्री	12 माह हेतु AMC Rate Per Unit (Inclusive of all taxes) (अंक में)	12 माह हेतु AMC Rate Per Unit (Inclusive of all taxes) (शब्दों में)
कम्प्यूटर (Desktop/All in One)	..........................रू० प्रति	....रू० प्रति
प्रिंटर	..........................रू० प्रति	....रू० प्रति

निविदादाता का हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

मुहर ....